

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 343/एफ-1003688/वित्त/नियम/चार/12

रायपुर, दिनांक 3 नवंबर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

विषय:-राज्य शासन के पेंशनरों के पेंशन सारांशीकरण दर में संशोधन।


राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत मूल्य सारणी के अनुसार पेंशन का सारांशीकरण का भुगतान किया जाता है। राज्य शासन द्वारा छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों के पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य हेतु 8 प्रतिशत ब्याज पर आधारित पेंशन सारांशीकरण की दर निम्नांकित तालिका अनुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)
1.	40	9.090
2.	41	9.075
3.	42	9.059
4.	43	9.040
5.	44	9.019
6.	45	8.996
7.	46	8.971
8.	47	8.943
9.	48	8.913
10.	49	8.881
11.	50	8.846
12.	51	8.808
13.	52	8.768
14.	53	8.724
15.	54	8.678
16.	55	8.627

S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)
17	56	8.572
18	57	8.512
19	58	8.446
20	59	8.371
21	60	8.287
22	61	8.194
23	62	8.093
24	63	7.982
25	64	7.862
26	65	7.731
27	66	7.591
28	67	7.431
29	68	7.262
30	69	7.083
31	70	6.897

//2//

यह आदेश दिनांक 1-8-2012 से प्रभावशील होंगे। नियमों में यथास्थान संशोधन के आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग